# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्याः– 278/2009 निर्णय दिनांक :– 15.07.2022

उनवानी दावा :

1. रतन लाल पुत्र रूघनाथ जाति माली निवासी रामसागर तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. लक्ष्मण पुत्र रूघनाथ जाति माली निवासी रामसागर तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. मोत्या बेवा रूघनाथ जाति माली निवासी रामसागर तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– वादी –

बनाम

1. रामकरण पुत्र रूघनाथ जाति माली निवासी रामसागर तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. प्रभुलाल पुत्र रूघनाथ जाति माली निवासी रामसागर तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार दूनी तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

– प्रतिवादीगण –

श्री भगवान सिंह सोलंकी
अधिवक्ता वादी

आलोक कुमार शर्मा
प्रतिवादी संख्या 1
एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2

**दावा उद्घोषणा , दुरूस्ती इन्द्राज, विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

पत्रावली लोक अदालत में वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता/पक्षकारान ने तहसीलदार की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निर्णय/ अन्तिम डिक्री की प्रार्थना की। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 14.06.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 98 ख. नं. 28 रकबा 0.60 है0 खाता संख्या 99 खसरा नं. 27 रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम रामसागर पटवार हल्का रामसागर, भू. अभि. नि. क्षैत्र धुवांकला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तद्नुसार अन्तिम डिकी जारी हो। तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:–

Bl..2u

रामसागर पटवार हल्का रामसागर भू. अभि. क्षैत्र धुंवाकला में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगाः–

| | नाम खातेदार | ख. नं. | रकबा हैक्टेयर में | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible]तनलाल, लक्ष्मण पुत्र रूघनाथ, मोत्या पत्नी स्व. रूघनाथ जाति माली सा. देह ब. हि., बा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित | 27 मिन | 1.15 | नहरी प्रथम | 25.30 |
| | | 28 मिन | 0.36 | बंजड़ | 0.18 |
| | योग | किता–2 | 1.51 | | 25.48 |
| 2 | रामकरण पुत्र रूघनाथ जाति माली, सा. देह ब. हि. बा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित | 27 मिन<br>27 मिन | 0.77 | नहरी प्रथम, | 16.94 |
| | | 28 | 0.24 | | 0.12 |
| | योग | किता–2 | 1.01 | | 17.06 |

संलग्न :– तहसीलदार दूनी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस। तहसीलदार देवली उक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित हों।

निर्णय खुले न्यायालय लोक अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली